Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

रमेश वगै0 बनाम लखन लाल वगै0

अपील संख्या 149/2025 अन्तर्गत धारा 225 आर टी एक्ट GCMS NO 2025/322

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 149/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.10.25	अपील श्री राधेश्याम बैष्णव अधिवक्ता ने पेश की । अपील बांद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपीलांट अधिवक्ता को एडमिशन पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 97/25 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.10.25 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी लखन लाल पुत्र औकार जाति मीना के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 7.10.25 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। चूकि उक्त आदेश अंतरिम आदेश है जो पूर्ण निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी मे नियत है। जिसमे अभी तलबी अप्रार्थीगण होना शेष है। चूकि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा का है। न्यायहित मे प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना उचित है कि प्रकरण मे विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण किया जावे। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे विधिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण का अंतिम निस्तारण अन्दर एक माह मे किया जाना सुनिश्चित करे तथा अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन उनवानी प्रकरण मे नियत दिनांक को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्रस्तुत करे। अपील इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

राजस्व अपील अधिकारी, सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते